पत्र संख्या- आई0टी0-डिजिटल सिग्नेचर/(2016-17)/ 577 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: सितम्बर 22 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषयः- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।

Ease of doing buisness एवं GST में प्रस्तावित व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग से जारी किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र, नोटिस एवं आदेश अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जारी किये जाने हैं । उक्त के दृष्टिगत वाणिज्य कर विभाग के समस्त अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाकर सभी जोनो में अधिकारियों को प्राप्त कराये जा चुके है ।

डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को विभागीय साफ्टवेयर पर रजिस्टर किया जाना आवश्यक है । इस हेतु VYAS Central Software पर की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत होगी :-

1- सर्वप्रथम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को System में Plug किया जायेगा जिसके पश्चात डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में उपलब्ध साफ्टवेयर Automatically Run हो जायेगा । यदि Autorun माध्यम से सिग्नेचर Run नही करता है तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट Open करके "Set up file" को Run कराया जायेगा । तत्पश्चात set up wizard की Instruction को follow करते हुए Installation की प्रक्रिया शुरु की जायेगी जिसमें "CSP Option" के लिए By default का विकल्प रहेगा ।

2- Set up सफलतापूर्वक Install होने के पश्चात Internet Explorer open कर VYAS Central पर लागिन किया जायेगा । VYAS Central पर लागिन करके उसके Help desk section में DSC Registration for officers पर click किया जायेगा ।

3- DSC Registration for officers पर click करने पर Registration for digital signature page open होगा । जिसके select बटन पर click करके अपना डिजिटल सिग्नेचर select किया जायेगा, तत्पश्चात Registration digital signature पर click करने पर successfully registered का message प्रदर्शित होगा, जिसका तात्पर्य है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर हो गया ।

कृपया उक्त निर्देशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर तक सभी अधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड कराना सुनिश्चित करें । यह कार्य महत्वपूर्ण है अत: इसका अनुपालन समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराएँ ।

20/09/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।